विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः- 246429

वाद संख्या 322 / 2024-25 दिनांक- 27/05/2024

श्री राजेश नम्बूरी – परिवादी
जोशीमठ,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. श्री राजेश नम्बूरी द्वारा दिनांक 23.09.2023 को मंच को शिकायती पत्र प्रेषित किया, जोकि वाद सं0–322 में दर्ज कर दिया गया है। परिवादी वि0वि0जोशीमठ का विद्युत उपभोक्ता है, एवं उपभोक्ता का संयोजन सं0–GP 61261407932 है, एवं मीटर सं0– 40034403 है। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि प्रार्थी का बिल पिछले तीन, चार माह से त्रुटिपूर्ण आ रहा है, एवं उसका बिल खपत की तुलना से अधिक है, तथा विभाग से उनको यह जानकारी भी मिली है कि उपभोक्ता का बिल डेढ़ से दो लाख तक जाएगा जिसे प्रार्थी देने में असमर्थ है, एवं अत्यन्त परेशान है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 884 दिनांक 09.10.2023 द्वारा विभाग से परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में विभाग से कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण एक सप्ताह के अन्तर्गत मंच के सम्मुख प्रेषित करने का निर्देश दिया गया जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के पत्रांक 890 दिनांक 20.10.2023 द्वारा दिनांक 25.10.2023 को वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ में उपभोक्ता के शिकायत की सुनवाई सुनिश्चित की गई।
3. तय तिथि एवं समय को सुनवाई के दौरान उपभोक्ता श्री राजेश नम्बूरी एवं विभाग की ओर से श्री अविनाश भट्ट उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख यह आशंका जताई गई कि मीटर में डम्प रीडिंग होने के कारण उपभोक्ता का बिल अधिक हो गया होगा। दिनांक 06.11 2023, 18.12.2023, एवं 30.01.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा मेल के माध्यम से मंच से उपभोक्ता की MRI रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए अतिरिक्त समय की मॉग की गई। दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री अविनाश भट्ट उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ द्वारा मंच के सम्मुख चैक मीटर की सीलिंग रिपोर्ट प्रेषित की एवं फाइनल रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु समय की मांग की। दिनांक 28.03. 2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता श्री राजेश नम्बूरी एवं विभाग की ओर से श्री अविनाश भट्ट उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता के बिलों में जो अतिरिक्त अधिभार जोड़े गये हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा एंव पूर्व के विद्युत बिलों को संशोधित कर वर्तमान बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता के बिलों में जो अतिरिक्त अधिभार जोड़े गये हैं उन्हें निरस्त करें, एंव पूर्व के विद्युत बिलों को संशोधित कर वर्तमान बिलों में समायोजित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 392 / 2024—25

दिनांक— 28/05/2024

श्री आलोक नौटियाल
सुभाषनगर, कर्णप्रयाग। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैंण। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री आलोक नौटियाल, संयोजन सं0—GS22102703337 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 01.04.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी के विद्युत बिल में माह नवम्बर—दिसम्बर 2022 में विभाग द्वारा नई केबल लाइन डाली गई जिससे उनके बिल में अचानक से बहुत वृद्धि हो गई, साथ ही सभी बल्ब एवं बिजली के उपकरण बटन बन्द होने पर भी अपने आप ऑन हो रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 1012 दिनांक 04.04.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 09.04.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। किन्तु विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 127 दिनांक 08.04.2024 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता के परिवर्तक की जॉच कराने पर ऐसी किसी भी प्रकार की सम्भावना नहीं पायी गई और ना ही उक्त परिवर्तक से पोषित अन्य उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार की समस्या की सूचना दी गई । जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता के घर की आउटगोइंग लाइन पर किसी प्रकार की वायरिंग लीकेज सम्बन्धी समस्या होगी। विभाग द्वारा उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री मंच को प्रेषित की गई। मंच द्वारा उपभोक्ता से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क करने पर उपभोक्ता द्वारा अपना विद्युत बिल अधिक होने की आशंका जताई गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 966 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)¼) एवं (इ) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य—विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 384 / 2023–24 | दिनांक– 28/05/2024

श्री आलोक दीप नौटियाल, — परिवादी
ग्रा0–नौटी, तहसील–कर्णप्रयाग,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गैरसैंण।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री आलोक दीप नौटियाल, संयोजन सं0–GS12205018506 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 17.02.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी किसी अन्य स्थान पर 25 वर्ष पूर्व ही चले गये हैं, एवं उक्त संयोजन का उपभोग नहीं करते हैं। उपभोक्ता द्वारा 05 अक्टूबर 2017 को बिल भुगतान कर ईमेल के द्वारा विभाग को उक्त संयोजन विच्छेदन के लिए आवेदन किया गया था किन्तु विभाग द्वारा उनके संयोजन को विच्छेदित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 947 दिनांक 23.02.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए। विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा संयोजन विच्छेदन की रसीद नहीं कटवायी गई है, एवं उपभोक्ता को प्रेषित किये गये NA/NR/RDF/IDF बिलों में संशोधन कर दिया जायेगा। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा 05 अक्टूबर 2017 को बिल भुगतान किया गया, किन्तु संयोजन के स्थायी विच्छेदन हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया एव ना ही संयोजन विच्छेदन की नियत राशि जमा की गई। दिनांक 16.05.2015 से दिनांक 24.07.2020 तक NA एवं NR तथा दिनांक 31.01.2021 से दिनांक 31.01.2024 तक RDF के बिल दिये गये हैं। इस दौरान जो भी मीटर रीडिंग के बिल उपभोक्ता को प्रेषित किये गये हैं उसमें भी विद्युत की खपत मीटर रीडिंग के अनुसार शून्य है, जिससे कि यह स्पष्ट है कि या तो मीटर खराब है अथवा उपभोक्ता द्वारा विद्युत की खपत नहीं की गई है।
4. **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के Sub-regulation 3.1.4 के अनुसार सभी खराब मीटर **(ADF,RDF OR IDF)** तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation 3.2(1)** के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है , और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
5. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

“ *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा,*

क्रमशः..... 02

तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।

(2) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

(3) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि सम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" ***5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग***

(1) *त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"*

6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम** 5.1.2(6)(7) तथा 5.2.1(4)में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.2 मीटर का पढ़ना–*

(6) जहाँ किसी उपभोक्ता की अनुपलब्धता (एनए) के कारण मीटर पढ़ा नहीं जा सका है ता अनुज्ञापी, जिस तिथि को उपभोक्ता के परिसर पर मीटर रीडिंग लेने गया था, तथा ऐसा करने में सक्षम नहीं होने के कारण इंकित करते हुए पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के आधार पर एक अस्थायी बिल जारी करेगा। जब कभी मीटर पढ़ा जायेगा तो ऐसे सभी बिलों का उचित रूप से समायोजन किया जाएगा। इस तरह की अनंतिम बिलिंग एक समय में लगातार दो बार से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी नहीं रखी जाएगी तथा उसके बाद कोई अनंतिम बिल जारी नहीं किया जाएगा।

(7) यदि लगातार दो मीटर रीडिंग की तिथियों पर मीटर की पहुॅच नहीं हो पा रही है तो अनुज्ञापी तिथि तथा समय इंकित करते हुए मीटर रीडिंग लेने के लिए परिसर को खुला रखने का 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, उचित रसीद को प्राप्त कर उपभोक्ता को देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, तो अनुज्ञापी नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, जब तक ऐसी मनाही या विफलता जारी रहे, तब तक के लिए आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

क्रमशः..... 03

वाद संख्या 384 / 2024–25 दिनांक– 28/05/2024
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य*

(7) अंतरिम बिलिंग (एनए / एनआर / आईडीएफ / एडीएफ / आरडीएफ, औसत खपत के आधार पर बिलिंग) दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए नहीं होगी। यदि किसी मामले में मीटर पर पहुँच लगातार दो बिलिंग चक्रों के लिए न हो तो उपविनियम 5.1.2 के क्लॉज (7) के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

7. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिनांक 16.05.2015 से दिनांक 24.07.2020 तक NA एवं NR तथा दिनांक 31.01.2021 से दिनांक 31.01.2024 तक RDF के बिल दिये जाना UERC के उपरोक्त बिन्दु (4) से (6) तक दिये गये नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 09.01.2015 तथा दिनांक 22.03.2015 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करने योग्य हैं।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 16.05.2015 से दिनांक 23.11.2023 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 09.01.2015 तथा दिनांक 22.03.2015 का बीजक 51 kWh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

[illegible]न्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 395 / 2024—25 दिनांक— 27/05/2024

श्री आशीष डिमरी, — परिवादी
सिंहधार, जोशीमठ।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री आशीष डिमरी, संयोजन सं0—GP11201009042 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 08.04.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा समय से विद्युत बिल प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण बिल की धनराशि बहुत अधिक हो रही है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर, वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 583 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल, दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) | सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) | भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

सदस्य—उपभोक्ता, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य—विधि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य—तकनीकि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 393/2024–25 दिनांक– 27/05/2024

श्री मनोज जैन,
अपर बाजार जोशीमठ। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मनोज जैन, संयोजन सं0–GP61162408119 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 04.04.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक बिल दिया गया है।लगातार अनियमित विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 1011 दिनांक 04.04.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 08.04.2024 के दौरान विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर, वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि विभाग ने उपभोक्ता को 10.02.2023 से 19.03.2024 तक का NA विद्युत बिल प्रेषित किया है।
4. **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के **Sub-regulation 3.1.4** के अनुसार सभी खराब मीटर **(ADF,RDF,NA/NR OR IDF)** तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation 3.2(1)** के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है , और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
5. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई. डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

(2) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रुका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 393/2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 27/05/2024

(3) *जहॉं अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" *5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग*

(1) *त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"*

6. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दो से अधिक बिल दिनांक 18.04.2023 के उपरान्त दिनांक 19.03.2024 तक NA के बिल दिये जाना UERC के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 10.02.2023 तथा दिनांक 15.03.2023 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों दिनांक 11.11.2022, 13.12.2022 एवं दिनांक 14.01.2023 की औसत खपत के आधार पर (118+114+54/3=95) संशोधित करने योग्य हैं।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 18.04.2023 से दिनांक 19.03.2023 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 10.02.2023 एवं दिनांक 15.03.2023 का बीजक 95 kWh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 388 / 2024–25 दिनांक– 27-05-2024

श्री पुष्कर सिंह, पुत्र स्व0 भादू सिंह – परिवादी
ग्रा0–सुकी, पो0–सुराईथोटा।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पुष्कर सिंह, पुत्र स्व0 भादू सिंह, संयोजन सं0–GP11418460503 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 26.02.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा लगातार अनियमित विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 985 दिनांक 20.03.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 28.03.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर, वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 23 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 386/2024–25 दिनांक– 27/05/2024

श्री मातवर सिंह, – परिवादी
ग्रा0–सुकी, पो0–सुराईथोटा।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मातवर सिंह, संयोजन सं0–GP11418460495 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 26.02.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा लगातार अनियमित विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 985 दिनांक 20.03.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 28.03.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर, वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि विभाग ने उपभोक्ता को 07.03.2017 से 16.03.2021 तक का IDF विद्युत बिल प्रेषित किया है।
4. **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के **Sub-regulation 3.1.4** के अनुसार सभी खराब मीटर **(ADF,RDF OR IDF)** तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation 3.2(1)** के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है , और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
5. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

(2) *जहॉ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

संख्या 386 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 27/05/2024

(3) *जहॉ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" ***5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग***

(1) *त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"*

6. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु (03) एवं (04) में उल्लेखित किये गये **UERC** के नियमों का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा परिवादी को दो से अधिक बिल दिनांक 06.07.2017 के उपरान्त दिनांक 16.03.2021 तक IDF के बिल दिये जाना **UERC** के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 07.03.2017 तथा दिनांक 09.05.2017 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों दिनांक 08.09.2016, 08.11.2016 एवं दिनांक 13.01.2017 की औसत खपत के आधार पर (124+51+100/3=92) संशोधित करने योग्य हैं। मंच द्वारा कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 02.03.2015 के बाद कोई भी विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 06.07.2017 से दिनांक 16.03.2021 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 07.03.2017 तथा दिनांक 09.05.2017 का बीजक 92 kWh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। एवं उपभोक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह अपना विद्युत बिल समय से जमा करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

[illegible] सिह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL